तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/3962/2002/भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री विभोर गोड वकील प्रार्थी
श्री ओ.पी.भटट वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः..9.3.18

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत उपजिला कलक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर कांमा, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 425/98 में पारित आदेश दिनांक 19.4.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अप्रार्थी संख्या ने एक वाद अधिनियमकी धारा 88, 89, 53, 54 व 188 का प्रतिवादीगण वर्तमान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त वाद में वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 13 नियम 2 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 एवं बयनामा दिनांक 20.11.90 को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षो को सुनकर आलौच्य आदेश दिनांक 19.4.2002 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आलौच्य आदेश सुक्ष्म है तथा कारणो की व्याख्या नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वाद वर्ष 1992 में प्रस्तुत किया गया था एवं वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। इसके बाद प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 2 गलत तथ्यों पर आधारित कर प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2059 से 61 की एवं बयनामा प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गई है जो अनुचित है क्योंकि वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/3962/2002/भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किये जाने के समय की जमाबन्दी सम्वत 2048 से 49 तक की ही प्रस्तुत की जा सकती है। बयनामा प्रस्तुत किये जाने का स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सलंग्न हो गई जिससे वाद में जमाबन्दी प्रस्तुत की जाना आवश्यक होने से यह जमाबन्दी एवं बयनामा जो कि पंजीकृत है प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिये है। वाद वर्ष 1992 से चल रहा है एवं प्रतिवादी ने देरी करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत कर बहुत ही अधिक समय बरबाद किया है। अतः निगरानी खारिज की जावे। हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आलौच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश से प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 2 रूपये 300/– की कोस्ट पर स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कारणों की व्याख्या करते हुए एवं स्वतः स्पष्ट आदेश नहीं है परन्तु केवल इसी आधार पर निगरानी का निर्णय किया जाना प्रकरण को पीछे की तरफ ले जाना होगा जबकि यह निगरानी वर्ष 2002 से इस न्यायालय में लम्बित है। प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 एवं बयनामा दिनांक 20.4.1990 इस प्रकरण के निस्तारण में सहायक हैं तथा वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सलंग्न कर दी गई जिससे वाद में जमाबन्दी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। चूंकि वाद में विवादित आराजीयात का राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 2 सी.पी.सी. को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/3962/2002/भरतपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार कर दस्तावेजात को अभिलेख पर लिये जाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश से सहमत हैं। परन्तु इसके रिबटल में प्रतिवादी प्रार्थी को दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर नहीं दिया गया है जबकि न्यायहित में एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी को रिबटल में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में हम यह निगरानी इसी निर्देश के साथ खारिज करना उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी को रिबटल में दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर वाद का निस्तारण किया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त निर्देश के साथ यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडूदान देथा)** **सदस्य**	